

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021 — चैत्र 6, शक 1943

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच(23).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 7-क की उप-धारा (1),(2),(3), सहपठित धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में यथा विनिर्दिष्ट आबकारी संभागों की घोषणा करती है तथा जिनकी उक्त सारणी के कॉलम 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट जिलों पर क्षेत्रीय अधिकारिता होगी :-

सारणी

संभाग का नाम	संभाग के क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले जिले
1	2
1. रायपुर	राजस्व संभाग रायपुर क्षेत्रांगत आने वाले समस्त राजस्व जिले
2. बिलासपुर	राजस्व संभाग बिलासपुर क्षेत्रांगत आने वाले समस्त राजस्व जिले
3. बस्तर	राजस्व संभाग बस्तर क्षेत्रांगत आने वाले समस्त राजस्व जिले
4. दुर्ग	राजस्व संभाग दुर्ग क्षेत्रांगत आने वाले समस्त राजस्व जिले
5. सरगुजा	राजस्व संभाग सरगुजा क्षेत्रांगत आने वाले समस्त राजस्व जिले

2. यह अधिसूचना आबकारी संभागों के गठन दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच(24).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, किसी भी व्यक्ति के लिये, एक समय में, छत्तीसगढ़ राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल आधिपत्य की सीमा “पांच बल्क लीटर” की मात्रा विहित करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2021 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच(25).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु न्यूनतम ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा (स्पिरिट) तथा समस्त प्रकार की बीयर (माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रुपये 10/- की दर से तथा इसके अतिरिक्त समस्त ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा (स्पिरिट) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रुपये 20/- की दर से "अतिरिक्त आबकारी शुल्क" अधिरोपित करता है।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 10-53/2020/वा.क.(आब.)/पांच (74), दिनांक 15-05-2020 को निरसित किया जाता है।
3. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2021 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2021

क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच(25).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 23rd March 2021

NOTIFICATION

No. F10-24/2021/CT/(EX)/V(25).— In exercise of the powers conferred under provisio (1) and (2) of Section 25 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby impose an "Additional Excise Duty" of Rs. 10/- on the Retail Sale Price on each piece of Foreign Liquor (Spirit) of Lowest duty rate as well as on the Retail Sale Price on each piece of all types of beer (malt). For Foreign Liquor (Spirit) of all other duty ranges, an "Additional Excise Duty" shall be payable at the rate of Rs. 20/- on the Retail Sale Prices of each piece, in order to meet out the financial requirements of schemes related to education and health.

2. Notification No. F 10-53/2020/CT/(EX)/V(74), dated 15-05-2020 is hereby repealed.
3. This notification shall be applicable from 01-04-2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A.P. TRIPATHI, Special Secretary.